HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 671/2010

Monesh Kumar Nama Son Of Shri Hanuman Prasad Nama, aged about 25 years, resident of Bohra Ji Ka Chowk, Nagar Fort, Via Uniara, Tehsil Devli, District Tonk Raj.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan Through Director, Medical And Health Department, Government Of Rajasthan, Swasthya Bhawan, Ashok Marg, Jaipur Raj.
2. Chief Medical And Health Officer, Tonk Raj.
3. District Fertility And Child Health Officer, Tonk Raj.
4. Khalilurahaman Son Of Shri Alikurrahaman, Mohalla Kafta, Near Ladi Begam Maszid , Tonk Raj.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Ajay Gupta
For Respondent(s)	:	Mr. Rahul Verma for Mr. Archit Bohra, AGC Mr. Happy Sharma on behalf of Mr. Adeel Naqvi

---

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

25/02/2026

1. याचिकाकर्ता मोनिश कुमार नामा द्वारा अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान के अंतर्गत आदेश दिनांक 09.10.2009 (अनुलग्नक 11) से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विज्ञप्ति (अनुलग्नक 2) विभाग द्वारा दिनांक 25.07.2008 को जारी की गई थी जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को (अनुलग्नक 3) कार्यालय आदेश दिनांक 08.08.2008 द्वारा नियमित टीकाकरण सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 175/– रुपये प्रति माह मानदेय पर हायर किया गया था। तदुपरांत याचिकाकर्ता द्वारा अपनी

उपस्थिति संबंधित विभाग को दे दी गई, परंतु संबंधित विभाग द्वारा आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 11) द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गईं तथा उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया। अतः ऐसी स्थिति में उक्त अनुलग्न 11 को अपास्त करते हुए याचिकाकर्ता को (अनुलग्नक 3) के अनुक्रम में जी.एन.एम के पद पर नियुक्त किए जाने के आदेश दिए जाए।

3. इस संदर्भ में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त विज्ञप्ति विभाग द्वारा जारी की गई थी और उसी विज्ञप्ति के अनुसरण में याचिकाकर्ता को अन्य व्यक्तियों के साथ हायर किया गया था और याचिकाकर्ता ने जी.एन.एम. के पद पर कार्य किया, परंतु याचिकाकर्ता अपनी बहन की अक्समात तबीयत खराब होने से उपस्थित नहीं हो सका जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता द्वारा (अनुलग्नक 7) दिनांक 03.10.2009 के माध्यम से विभाग को सूचित किया गया था। अतः ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता की उक्त रिट याचिका स्वीकार की जाकर अनुलग्नक 11 अपास्त किया जाए और याचिकाकर्ता को जी.एन.एम. के पद पर उपरोक्त तिथि से पुनः नियुक्ति दिए जाने के आदेश दिए जाए।

4. इसके विपरीत प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में उपरोक्त विज्ञप्ति अनुलग्नक 2 से यह स्पष्ट है कि नियमित टीकाकरण सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 8 माह के लिए चार ए.एन.एम./स्टाफ 175/– रुपये प्रतिमाह सत्र के मानदेय की दर से अनुबंध पर लेने हेतु योग्य एवं योग्यताधारियों के आवेदन आमंत्रित किए गए थे और अनुलग्नक 3 द्वारा याचिकाकर्ता को उक्त योजना के अंतर्गत नियमित टीकाकरण सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम हेतु 175/– रुपये पर मानदेय पर हायर किया गया था। तदुपरांत याचिकाकर्ता ने अपनी अनुबंधित सेवाएं प्रदान नहीं की गई तथा अनुलग्न 11 द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। याचिकाकर्ता का कोई क्लेम पुनः जी.एन.एम. के पद पर नहीं बनता है। आदेश अनुलग्नक 3 किसी नियमित पद के विरुद्ध नियुक्ति का आदेश नहीं था, अपितु मात्र विशिष्ट अवधि के लिए अनुबंध पर सेवाएं लिए जाने के संदर्भ में पारित आदेश था। उनका यह भी तर्क रहा है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 10.02.2026

के द्वारा सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता के पृथक्करण के उपरांत किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता का कोई अधिकार पुनः नियुक्ति पाने का नहीं बनता है। अतः उक्त याचिका अस्वीकार की जाए।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में अनुलग्नक 2 विज्ञप्ति अपने आपमें स्पष्ट है। विज्ञप्ति के अनुसार आठ माह की विहित अवधि नियमित टीकाकरण सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम में याचिकाकर्ता की सेवा विभाग द्वारा एक निश्चित मानदेय 175/– रुपये प्रतिमाह की दर पर ली गई और याचिकाकर्ता के अनुपस्थित होने पर अनुलग्नक 11 द्वारा उसकी उक्त अनुबंधित सेवाएं समाप्त कर दी गई। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के किसी नियमित पद के विरुद्ध नियमानुसार कोई चयन नहीं किया गया था और न ही इस प्रकार के पद पर कोई रिक्ति विभाग के समक्ष उपलब्ध थी। अतः याचिकाकर्ता द्वारा यह क्लेम करना कि उसे पुनः अनुलग्नक 3 के आदेश के अनुसार जी.एन.एम. के पद पर नियुक्ति दी जाए, अपने आपमें उचित प्रकट नहीं होता है। विधि अनुरूप याचिकाकर्ता का कोई विधिक अधिकार पुनः उसे अनुलग्नक 3 की पालना में पुनः उक्त कार्य पर लिये जाने का नहीं बनता है।

7. अतः उक्त रिट याचिका सारहीन होने से निस्तारित की जाती है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR /49